छत्तीसगढ़ स्टेट इण्डस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड

(छत्तीसगढ़ शासन का एक उपक्रम)

प्रथम तल, उद्योग भवन, रिंग रोड़ नं.–01, तेलीबांधा, रायपुर–492006 (छत्तीसगढ)

दूरभाश : 0771–2583789–90 फैक्स : 0771–4091879 (विप), 2583794 (मुख्या)

CIN- U45203CT1981SG001853 **PAN** –AABCM6288N **Service Tax Regn. No-**AABCM6288NSD004.

वेबसाईट : www.csidc.in इमेल : csidc.cg.@nic.in, csidcrpr@rediffmail.com

प्रस्तावना

छत्तीसगढ़ स्टेट इण्डस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन (सीएसआईडीसी लिमि.) छत्तीसगढ़ शासन का एक उपक्रम है। छत्तीसगढ़ शासन भण्डार क्रय नियम 2002 (यथा संशोधित) के नियम 3 के अधीन परिशिष्ट–1 में उल्लेखित सामग्रियों के दरों एवं शर्तो का निर्धारण छत्तीसगढ़ स्टेट इण्डस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन (सीएसआईडीसी लिमि.) द्वारा किया जायेगा तथा निर्धारित दर एवं दर अनुबंध शर्तो के तहत विभागों द्वारा शासकीय खरीदी राज्य में संचालित ऑन लाईन पोर्टल ई–मानक **(e-Mane-C e-Marketing Network of Chhattisgarh)** प्रक्रिया से सीधे किया जा सकेगा।

सीएसआईडीसी द्वारा भण्डार क्रय नियम के परिशिष्ट–1 में उल्लेखित सामग्रियों के दरों का निर्धारण एवं दर अनुबंध निष्पादन कार्य सतत् रूप से संचालित किया जा रहा है।

छत्तीसगढ़ स्टेट इण्डस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन (सीएसआईडीसी लिमि.) द्वारा सामग्री के दरों के निर्धारण के लिये संचालित ई–प्रोक्यूरमेंट सिस्टम के अंतर्गत ई–निविदा आमंत्रित की जाती है। उक्त निविदा में भाग लेने वाले इच्छुक **विभिन्न निर्माणकर्ता (Manufacturer) एवं उनके अधिकृत प्रदायकर्ता (Authorized Distributor)** को सीएसआईडीसी में पंजीयन कराना अनिवार्य है। इस हेतु निर्धारित ऑनलाईन पंजीयन आवेदन प्रपत्र आमंत्रित किये जाते है।

पंजीयन

सीएसआईडीसी पंजीयन हेतु **छत्तीसगढ़ शासन भण्डार क्रय नियम के नियम–4.9 में निहित प्रावधान के तहत राज्य के जीएसटी विभाग मे निविदाकर्ता फर्म का पंजीयन होना चाहिए। इसी प्रकार निवदिाकर्ता की ओर से निविदा में भाग लेने हेतु अधिकृत प्रतिनिधि का राज्य के जीएसटी विभाग में पंजीयन होना अनिवार्य है।** इसी अनुक्रम में भण्डार क्रय नियम–7.1 निहित प्रावधान के तहत परिशिष्ट–1 सूची में उल्लेखित वस्तुओं के दर निर्धारण एवं दर अनुबंध के लिए आमंत्रित ई–निविदा हेतु सीएसआईडीसी द्वारा **विभिन्न निर्माणकर्ता (Manufacturer) एवं उनके अधिकृत प्रदायकर्ता (Authorized Distributor)** का पंजीयन किया जाना है।

पंजीयन हेतु दिशा–निर्देश :–

1. भण्डार क्रय नियम–4.9 एवं नियम–7.1 के अधीन भण्डार क्रय नियम–3 के तहत परिशिष्ट–1 सूची में अधिसूचित वस्तुऐं में से निर्माता इकाई एवं निर्माता इकाई के अधिकृत प्रदायकर्ता इकाई हेतु आरक्षित वस्तुओं की सूची अनुसार, सीएसआईडीसी द्वारा **विभिन्न निर्माणकर्ता (Manufacturer) एवं उनके अधिकृत प्रदायकर्ता (Authorized Distributor)** का पंजीयन किया जाना है।
2. **निर्माता इकाई एवं निर्माता इकाई के अधिकृत प्रदायकर्ता इकाई से ऑनलाईन प्राप्त पंजीयन आवेदन तिथि से पंजीयन हेतु आवश्यक दस्तावेज पूर्ण एवं सही पाये जाने की स्थिति में संबंधित आवेदक इकाई के पक्ष में सात कार्य दिवस के पश्चात् सीएसआईडीसी वेडर रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जारी किये जायेगे।**
3. एक पंजीयन आवेदन में एक से अधिक निर्माता इकाई को पंजीयन में सूचीबद्ध किये जाने संबंधी आवेदन को निरस्त माना जायेगा।
4. पंजीयन हेतु आवेदन पत्र निर्धारित ऑन लाईन प्रपत्र में ही स्वीकार किये जायेगें।
5. आवेदन प्रपत्र पूर्णतः भरा हुआ अनिवार्य दस्तावेजों सहित एवं पंजीयन शुल्क रू. 10,000/– एवं नियमानुसार जीएसटी अतिरिक्त @18% रू. 1800/– कुल रू. 11800/– (रूपये ग्यारह हजार आठ सौ मात्र) के साथ स्वीकार होगा। पंजीयन शुल्क राशि केवल डिमांड ड्राफ्ट या एनईएफटी के रूप में

ही Chhattisgarh State Industrial Development Corporation Ltd. (Marketing) रायपुर के पक्ष में स्वीकार होगा। उक्त पंजीयन शुल्क राशि नॉन–रिफन्डेबल होगी।

6. आवेदन प्रपत्र का परीक्षण सीएसआईडीसी लिमि., द्वारा किया जायेगा। यदि आवेदन प्रपत्र में किसी प्रकार का त्रुटि या जमा किये गये दस्तावेजों में कमी पाई जाती है तो इकाईयों को त्रुटि पूर्ति हेतु ऑन लाईन पंजीयन प्रक्रिया से सूचित किया जायेगा। यह सूचना केवल दो बार ही दी जायेगी तदोपरांत आवेदन बिना सूचना के निरस्त किया जा सकेगा।

7. पंजीयन उपरांत इकाईयों को पंजीयन प्रमाण–पत्र जारी किया जायेगा, जो कि जारी होने के दिनांक से 2 वर्ष के लिये वैध होगा।

8. इकाईयों को पंजीयन हेतु आवेदन पत्र ऑन लाईन पूर्णतः भरा हुआ अनिवार्य दस्तावेजों सहित एवं नोटरी द्वारा अभिप्रमाणित शपथ पत्रों सहित जमा करना होगा।

9. ऑन लाईन पंजीयन आवेदन हेतु अधिकृत प्रतिनिधि (मुख्त्यारनामा) के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर मय रबर मोहर लगाना आवश्यक होगा।

10. आवेदक इकाई से ऑन लाईन पंजीयन प्रक्रिया में प्राप्त पंजीयन आवेदन प्रपत्र में संलग्न दस्तावेजों के संबंध में आवश्यकता होनें पर सीएसआईडीसी द्वारा आवश्यक दस्तावेज की पुष्टि/सत्यापन संबंधित कार्यालय से कराया जायेगा।

11. आवेदक इकाई से ऑन लाईन पंजीयन प्रक्रिया में प्राप्त पंजीयन आवेदन प्रपत्र में संलग्न दस्तावेजों के संबंध में आवश्यकता होनें पर सीएसआईडीसी के अधिकारियों द्वारा निर्माता इकाई का स्थल निरीक्षण किया जायेगा ।

<u>पंजीयन हेतु पात्रता:–</u>

1. छत्तीसगढ़ शासन भण्डार क्रय नियम 2002 (यथा संशोधित) के नियम–3 एवं 7.1 के अधीन परिशिष्ट=1 सूची में आरक्षित वस्तुओं के दर निर्धारण एवं दर अनुबंध के लिये आमंत्रित निविदा हेतु विभिन्न निर्माणकर्ता एवं उनके अधिकृत प्रदायकर्ता इकाई सीएसआईडीसी पंजीयन हेतु पात्र होगी।
2. विभिन्न निर्माणकर्ता इकाईयों को एमएसएमई द्वारा जारी उद्योग आधार मेमोरेण्डम (**UAM**) या एनएसआईसी में वैध पंजीकृत होना आवश्यक होगा तथा भारी उद्योग इकाईयों को भारत सरकार, उद्योग मंत्रालय, द्वारा जारी आई.ई.एम. (**IEM**) अथवा लायसेंस में वैध पंजीकृत होना होगा।
3. विभिन्न निर्माणकर्ता इकाईयों द्वारा सीएसआईडीसी पंजीयन हेतु प्रस्तुत ऑन लाईन आवेदन में सामग्री के उत्पादन क्षमता हेतु जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र (**DTIC**) द्वारा जारी उत्पादन प्रमाण पत्र या एमएसएमई (**MSME**) कार्यालय द्वारा जारी उत्पादन क्षमता निर्धारण संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा। उपरोक्त उत्पादन प्रमाण पत्र या उत्पादन क्षमता निर्धारण संबंधी दस्तावेज में निर्धारित उत्पादन क्षमता को ही सीएसआईडीसी पंजीयन हेतु मान्य किया जायेगा।
4. उपरोक्त उत्पादन प्रमाण पत्र या उत्पादन क्षमता निर्धारण संबंधी दस्तावेज में, सीएसआईडीसी पंजीयन प्रक्रिया में ऑन लाईन उपलब्ध वस्तुओं की सूची अनुसार प्रत्येक सामग्री का क्षमता निर्धारण अलग–अलग से अंकित किया जाना अनिवार्य होगा।

<u>पंजीयन की शर्तें:–</u>

1. पंजीकृत इकाईयों को समय–समय पर घोषित सीएसआईडीसी पंजीयन की शर्तों का पालन करना होगा।
2. पंजीकृत इकाईयों के उत्पादित वस्तुओं के निर्धारित मापदण्ड में परिवर्तन अथवा किसी वस्तु का उत्पादन बंद करना जिस हेतु इकाई पंजीकृत है तथा नाम अथवा पता परिवर्तन होने पर सीएसआईडीसी को सूचित करना आवश्यक होगा।
3. पंजीकृत इकाईयों के लिए आवश्यक होगा कि, पंजीयन अवधि समाप्त होने की तिथि से एक माह पूर्व नवीन आवेदन पत्र निर्धारित प्रपत्र में समस्त दस्तावेज एवं पंजीयन शुल्क सहिंत अनिवार्यतः प्रस्तुत किया जाना होगा।
4. पंजीयन प्रमाण–पत्र में किसी भी सामग्री को जोड़ने या हटाने तथा नियमों एवं शर्तों में संशोधन करने का अधिकार सीएसआईडीसी के पास सुरक्षित होगा।
5. पंजीयन प्रमाण–पत्र की वैधता अवधि जारी दिनांक से 02 वर्ष तक के लिए होगी।

....

<u>महत्वपूर्ण टीपः–</u>

(1) सीएसआईडीसी के निर्धारित पंजीयन प्रपत्र में विनिर्दीष्ट नियम, शर्तें एवं दिशा–निर्देशो के संदर्भ में परिवर्तन तथा संशोधन के सम्पूर्ण अधिकार सीएसआईडीसी के पास सुरक्षित होगा। किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में प्रबंध संचालक सीएसआईडीसी लिमि. का निर्णय अन्तिम होगा एवं उक्त निर्णय इकाई को मान्य तथा बाध्य होंगे ।

(2) किसी भी विवाद की स्थिति में न्यायालय के क्षेत्राधिकार रायपुर (छत्तीसगढ़) होगा ।